...ालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर

पीठासीन अधिकारी – श्री अमीलाल यादव आर.ए.एस.

न. मु. 83 / 2024

1 श्रीमती अनोप पत्नि मुलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू

प्रार्थीया

बनाम

1 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राज.

अप्रार्थी

1 मोटाराम पुत्र नारायणराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ईंयारा तह. बीदासर जिला चूरू
2 अर्जूनसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
3 करणीसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
4 कल्याणसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
5 कालूसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
6 किशोरसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
7 खींवसिंह दतक पुत्र रिड़मलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
8 गुलाबकंवर पुत्री समुन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
9 दौलत पुत्री नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
10 नेमसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
11 नरपतसिंह पुत्र समुन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
12 प्रभूसिंह पुत्र समुन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
13 भैरूसिंह पुत्र मालकंवर जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
14 भंवरसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
15 भंवरकंवर पुत्र मालकंवर जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
16 मेघसिंह पुत्र धुंकलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
17 मालसिंह पुत्र धुंकलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
18 रेखाकंवर पत्नि नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
19 रतनसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
20 सुल्तानसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
21 मुलीकंवर पत्नि मानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
22 पन्नेसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
23 श्योपालसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
24 छोटूसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
25 लक्ष्मणसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
26 महेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
27 देबूसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
28 इन्द्राकंवर पुत्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
29 सन्तुकंवर पुत्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
30 मैनाकंवर पुत्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू

लगातार......2 पर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

32 सुकंवर पुत्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
33 मनु कंवर पुत्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
33 कैलाश कंवर पुत्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
34 शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा ईयारा तह. बीदासर जिला चूरू
35 शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
36 शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कातर छोटी तह. बीदासर जिला चूरू
37 शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा सुजानगढ़ तह. सुजानगढ़ जिला चूरू

गौण अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थित

1 प्रार्थी मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :– 12/8/2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है रोही ग्राम भौमईयारा में खेत खसरा नम्बर 107/24 रकबा 1.3693 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 109/4 रकबा 1.1220 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 2.4913 हैक्टेयर (9–17बीघा) में 118/197 हिस्सा (5–18 बीघा) स्वतः स्वीकृत नामान्तरकरण सख्या 253 दिनांक 26/12/2023 के आधार पर मुझ प्रार्थीया के खातेदारी का राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उक्त खाता एवं खसरों की भूमि पूर्व में जमाबन्दी दिनांक 20/12/2023 के अनुसार जोगाराम पुत्र लाभूराम हिस्सा 80/197 जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बाजाकुड़ी तह. जैतारण, मोटाराम पुत्र नारायणराम हिस्सा 117/197 जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ईंयारा खातेदार के नाम दर्ज रही है उपरोक्त खाता खसरान् की भूमि में से खातेदार जोगाराम की 80/197 हिस्सा यानि 4–00 बीघा व मोटाराम के 117/197 हिस्सा भूमि में से भूमि तादादी 1–18 बीघा इस प्रकार कुल भूमि तादादी 5–18 बीघा यानि 118/197 हिस्सा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28/12/2023 के आधार पर मुझ प्रार्थीया के नाम खरीद शुदा है जिसकी मै रेकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार हूँ उपरोक्त खाता के खेत खसरा नम्बर 107/24 के पूर्व खसरा नम्बर 24 रकबा 5.6909 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 109/4 के पूर्व खसरा नम्बर 4 रकबा 2.2131 हैक्टेयर रहे है उपरोक्त दोनो पूर्व खसरा नम्बर 24 व 4 पूर्व राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खाता नम्बर 25 के कुल खसरे 11 कुल रकबा 416–01 बीघा की संयुक्त खातेदारी के खातेदार जगमालसिंह पुत्र तेजसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में संयुक्त खातेदारी भूमि में घोषणा एवं विभाजन का दावा न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बीदासर में नम्बरी मुकदमा 7/20217 के रूप में संधारित किया। दौराने दावा विचारण वादी जगमालसिंह के स्वर्गवास के बाद वादगत खाते में विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज होकर जगमालसिंह की खातेदारी उनके वारिसान के नाम दर्ज हो गई। उक्त दावे में मुझ प्रार्थीया को भूमि विक्रय करने वाले खातेदार जोगाराम व मोटाराम को पक्षकार प्रतिवादी सख्या 13, 14 के

लगातार.....3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

में पक्षकार संयोजित किया गया था, जिनकी जवाबदेही नहीं आने के कारण उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दावा में पूर्ण वैधानिक प्रकिया अनुसार साक्ष्य आदि लेकर दावा में प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री का आदेश दिनांक 17/12/2021 को फरमाया गया, न्यायालय श्रीमानजी के आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा मौका पर जाकर हाजिर खातेदारान् की मौजूदगी में फर्द मौका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। मुझ प्रार्थीया को विक्रय करने वाले खातेदार प्रतिवादी सख्या 13, 14 मौके पर उपस्थित नहीं होने के कारण उनकी उपस्थिति फर्द मौका विभाजन प्रस्ताव में नहीं हुई तथा उपस्थित खातेदारान् ने अपने अपने हिस्सा पांती एवं कब्जा अनुसार नक्शा मौका तैयार करवाया दिया था। मुझ प्रार्थीया को विक्रय करने वाले खातेदारान् प्रतिवादी सख्या 13, 14 के हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में खेत खसरा नम्बर 4 व 24 की हिस्सा भूमि मौके पर कब्जा काश्त में होना बताया। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर स्थित वास्तविक स्थिति अनुसार नक्शा मौका में अंकन नहीं कर गलत अंकन किया गया। मुझ प्रार्थीया को विक्रय करने वाले खातेदार प्रतिवादी सख्या 13, 14 के हक हिस्सा में खेत खसरा नम्बर 4, 24 की भूमि कटाणी मार्ग पर उतर से दक्षिणी तरफ लम्बाई की हिस्सा पांती में रही है जो आज दिन भी मौके पर है। पटवारी हल्का द्वारा मौका स्थिति से भिन्न प्रार्थीया की हिस्सा भूमि खसरा नम्बर 24 में पूर्वी तरफ के खसरा नम्बर 21 तक अंकित कर मौका नक्शा तैयार कर प्रस्तुत कर दिया, जबकी प्रार्थीया की खसरा नम्बर 24 में हिस्सा भूमि पूर्वी सींव तक नहीं रही है, प्रार्थीया के पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 24 की अन्य खातेदारान् की कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकारों की भूमि रही है जो आज दिन खसरा नम्बर 106/24 के खातेदारान् के कब्जा काश्त में है प्रार्थीया एवं खसरा नम्बर 106/24 के खातेदारान् के मध्य पुख्ता पक्की सींव तारबन्दी कायम है। उपरोक्त खसराजात का न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बीदासर के अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22/3/2022 की पालना में विभाजन प्रस्ताव एवं मौका नक्शा अनुसार राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थीया के खेत का अंकन गलत हो गया। प्रार्थीया ग्रामीण परिवेश की अनपढ महीला है जिसको खरीद के वक्त नक्शा की जानकारी नही हुई। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा चल रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए तारबन्दी का अनुदान प्राप्त करने के लिए प्राथीया ने अपने खेत का फर्द खाता और नक्शा निकलवाया तो प्रार्थीया के मौका एवं नक्शा में भिन्नता होने की प्रार्थीया को जानकारी हुई। इससे पूर्व राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेश में गलत अंकन की प्रार्थीया को कोई जानकारी नहीं रही है। प्रार्थीया एवं उनके सहखातेदार मोटाराम की पूर्व खेत खसरा नम्बर 4 व 24 में उतर से दक्षिणी लम्बाई की हिस्सा भूमि रही है जो वर्तमान में मौका पर प्रार्थीया एवं सहखातेदार मोटाराम के कब्जा अधिकार में है। प्रार्थीया राजस्व रेकार्ड नक्शा में वर्तमान मौका कब्जा काश्त अनुसार नक्शा में तरमीम शुद्ध करवाना चाहती है। प्रार्थीया खेत खसरा नम्बर

लगातार....4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

/24, 109/4 रोही भौमईयांरा की रेकार्डेड खातेदार कृषक है इसलिए मुझ प्रार्थीया को ार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त हैं उपरोक्त खसरा नम्बर 107/24, 109/4 रोही भौमईयारा में स्थित है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रोही भौमईयारा के खेत खसरा नम्बर 107/24 व 109/4 का नक्शा तरमीम वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान रेकार्डेड रकबा अनुसार नक्शा ट्रेश में अंकन तरमीम शुद्ध किये जाने के आदेश अता फरमाये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीया द्वारा दौराने विचारण दिनांक 26.12.2024 को एक प्रार्थना पत्र 151 सी. पी. सी. का प्रस्तुत किया गया है जिसको स्वीकार कर खसरा नम्बर 106/24, 108/4 के समस्त खातेदार गौण अप्रार्थीगण को तलबी के नोटिस पंजीकृत डाक से जारी किये गये। गौण अप्रार्थी सख्या 20 की और से श्री गोरधनसिह एडवोकेट ने वकानतनामा प्रस्तुत कर किया। गौणअप्रार्थी स. 1 के अधिवक्ता ने हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया। गौणअप्रार्थी सख्या 1 ता 19, 21 ता 37 की विधिवत तामीन के बाजूवद हाजिर अदालत नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर से जवाब प्रार्थना पत्र मय फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। बहस अधिवक्ता सुनी गई।

हमने पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत रेकार्ड दस्तावेजात को बगौर देखा। प्रार्थी को सुन कर मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और दस्तावेजात कें खण्डन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं आया है, जवाब एवं मौका जांच रिपोर्ट पैराकार राज में स्पष्ट अंकन है कि खसरा नम्बर 107/24 का वर्तमान नक्शा वर्तमान मौका एवं कब्जा काश्त से भिन्न है। प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त मौका फर्द में नीचें दर्शित नक्शा अनुसार है। फर्द मौका नक्शा अनुसार खेत खसरा नम्बर 107/24, 109/4 का वर्तमान नक्शा तरमीम शुद्ध किया जाना न्यायहित में प्रतीत होता है। अतः जवाब पैराकार राज एवं अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यो से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि रोही भौमईयारा के खेत खसरा नम्बर 107/24, 109/4 के रकबा एवं खातेदारों की हिस्सा पांती यथावत रखते हूए राजस्व रेकार्ड नक्शा अंकित गलत तरमीम पैराकार राज की रिपोर्ट, फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी अनुसार नक्शा ट्रेश शुद्ध तरमीम की जावे। फर्द मौका रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगा। अप्रार्थी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर को आदेश की पालना हेतू अलग से लिखा जावे। खर्चा पक्षकार अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 12-8-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

बीदासर जिला-चूरू